राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

क्र. सं.	अपील संख्या	अपीलार्थीगण का नाम	प्रत्यर्थी विभाग	अधिवक्तागण
1.	1596 / 2025	सीताराम मीणा	प्रमुख शासन सचिव, वन विभाग, राजस्थान, जयपुर एवं अन्य	श्री उम्मेद सिंह तंवर
2.	2386 / 2025	सतीश सिंह	राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, वन विभाग, राजस्थान, जयपुर एवं अन्य	श्री सुरेन्द्र सिंह

आदेश की दिनांक : 23.04.2025

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री मनीष सिंह तोमर, अति. राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)

आदेश

1. अपील संख्या–1596 / 2025 में अपीलार्थी सीताराम मीणा के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी क्षेत्रीय वन अधिकारी ग्रेड–द्वितीय के पद पर रेंज किशनगढवास, उप वन संरक्षक, अलवर में पदस्थापित है। निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 सतीश सिंह का स्थानान्तरण आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 के द्वारा अपीलार्थी के स्थान पर किया गया है, परन्तु अपीलार्थी का स्थानान्तरण किसी भी सक्षम अधिकारी द्वारा नहीं किया गया है। ऐसे में आलोच्य आदेश बिना मस्तिष्क का प्रयोग किये जारी किया गया है। उक्त आदेश को अपीलार्थी ने इस अधिकरण के समक्ष अपील संख्या–1596 / 2025 में चुनौती दी, जिसमें अधिकरण ने अन्तरिम स्थगन आदेश दिनांक 27.02.2025 पारित कर यह आदेश दिया की आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 का क्रियान्वयन अपीलार्थी के पदस्थापन के सम्बन्ध में अधिकरण के आगामी आदेश तक स्थगित रहेगा। साथ ही अपीलार्थी को वहीं कार्यरत रखा जावे, जहां वह चुनौती आदेश पारित किये जाने से पूर्व कार्यरत था तथा उक्त आदेश की पालना में अपीलार्थी को कार्यमुक्त नहीं किया जावे।
2. अपील संख्या–2386 / 2025 में अपीलार्थी सतीश सिंह के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी की पदोन्नति क्षेत्रीय वन अधिकर ग्रेड–द्वितीय के पद पर होने के पश्चात अपीलार्थी को आदेश दिनांक 15.01.2025 के द्वारा रेंज किशनगढवास, उप वन संरक्षक, अलवर पदस्थापित किया गया था, जिस पद पर अपीलार्थी ने दिनांक 16.01.2025 को कार्य ग्रहण कर लिया था, लेकिन उक्त स्थान पर क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वितीय श्री सीताराम मीणा कार्यरत था, जिसका 15.01.2025 के आदेश द्वारा कहीं स्थानान्तरण नहीं किया गया था इसलिए प्रत्यर्थी संख्या 4 श्री सीताराम

मीणा ने एक अपील संख्या 1596/2025 माननीय अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की। उक्त अपील में अपीलार्थी के स्थान पर वर्तमान अपील में अपीलार्थी श्री सतीश सिंह का पदस्थापन कर दिया गया है लेकिन किसी भी सक्षम अधिकारी द्वारा उसका स्थानान्तरण नहीं किया गया है। माननीय अधिकरण ने उक्त आधार पर यह आदेश दिया कि 15.01.2025 के आदेश के आधार पर श्री सीताराम मीणा वर्तमान अपील में प्रत्यर्थी संख्या–4 को कार्यमुक्त नहीं किया जाये और उसे उसी स्थान पर कार्यरत रखा जाये। इसके साथ ही यह स्वतंत्रता दी कि विभाग के सक्षम अधिकारी नया स्थानान्तरण करने के लिए स्वतंत्र है। प्रत्यर्थी संख्या 4 ने अपनी अपील में माननीय अधिकरण के समक्ष इस तथ्य की जानकारी नहीं दी कि श्री सीताराम मीणा को 16.01.2025 के आदेश द्वारा रेंज राजगढ का कार्यभार दिया गया था अर्थात श्री सीताराम मीणा, क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वितीय के पद पर राजगढ में भी कार्यरत था। प्रत्यर्थी संख्या 4 को स्थगन मिलने के पश्चात स्वयं ने एक प्रार्थना पत्र उपवन संरक्षक, अलवर को प्रेषित किया जिसमें उसने यह माना है कि उसको 16.01.2025 से सक्षम स्तर से रेंज किशनगढ़बास से हटाकर कार्यालय रेंज राजगढ़ कर दिया गया है जिसे उसने अनुचित होना बताया है अर्थात प्रत्यर्थी सख्या 4 के उक्त पत्र से स्पष्ट है कि श्री सीताराम मीणा को रेंज राजगढ लगा दिया गया था और यदि अपीलार्थी का किशनगढ़बास स्थानान्तरण किया गया है तो उक्त आदेश 15.01.2025 को उक्त आदेश सक्षम स्तर से जारी किया गया है, जिसकी पालना में अपीलार्थी ने कार्यग्रहण कर लिया है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी को वहां कार्यरत रखा जा सकता था लेकिन केवल मात्र प्रत्यर्थी संख्या 4 श्री सीताराम मीणा को अनुचित लाभ देने की दृष्टि से अपीलार्थी को चुनौती आदेश दिनांक 18.03.2025 द्वारा अपीलार्थी को कार्यव्यवस्थार्थ कार्यालय उपवन सरंक्षक अलवर में लगा दिया गया और श्री सीताराम मीणा को कार्यव्यवस्थार्थ रेंज किशनगढ़बास उपवन संरक्षक अलवर में लगाया गया। आदेश दिनांक 16.01.2025 के आदेश की पालना में श्री सीताराम मीणा ने राजगढ में कार्यग्रहण कर लिया था तो उसे पुनः अपीलार्थी के स्थान पर लगाया जाना अनुचित व अवैध है जबकि अपीलार्थी ने सक्षम अधिकारी द्वारा पारित आदेश की पालना में किशनगढ़बास में कार्यग्रहण कर चुका है। इस प्रकार अपीलार्थी सतीश सिंह ने अपील में आदेश दिनांक 18.03.2025 (अनुलग्नक–1) को चुनौती दी है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को कार्य व्यवस्थार्थ कार्यालय उप वन संरक्षक, अलवर में लगाये जाने के आदेश दिये गये है एवं निजी प्रत्यर्थी सीताराम मीणा को कार्य व्यवस्थार्थ रेंज किशनगढवास, उप वन संरक्षक, अलवर लगाया गया है।

3. अपील संख्या–2386/2025 में निजी प्रत्यर्थी सीताराम मीणा ने जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया है कि अपील सं. 1596/2025 सीताराम मीणा बनाम वन विभाग में दिये गये स्थगन आदेश दिनांक 27.02.2025 की पालना में पद रिक्त नहीं होने के आधार पर अपीलार्थी को दोहरा पदस्थापन होने पर अस्थायी रूप से अपीलार्थी का पदस्थापन अलवर जिले में ही उपवन संरक्षक कार्यालय में अपीलार्थी की ड्यूटी लगाई गई है। नियमानुसार अधिकरण का स्थगन आदेश होने पर उत्तरदाता को यथावत् कार्यरत् रखा गया है तथा अपीलार्थी को रिक्त पद का कार्य करने हेतु उपवन संरक्षक कार्यालय में ड्यूटी लगाई गई है, जिसमें किसी प्रकार की कोई दुर्भावना नहीं है। नियमानुसार एक पद पर 2 व्यक्तियों का पदस्थापन नहीं रखा जा सकता है। अपीलार्थी ने जानबूझकर यथावत् पदस्थापित रहने के आशय से उक्त अपील प्रस्तुत की है। जो नियमानुसार जारी आदेश है तथा बिना दुर्भावना के पारित आदेश है। उक्त आधार पर अपीलार्थी की अपील निरस्त किये जाने योग्य
4. हमनें पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया।
5. हम पाते हैं कि आदेश दिनांक 15.01.2025 पारित होने से दोनों अपीलों के अपीलार्थीगण प्रभावित हुए है। आदेश दिनांक 15.01.2025 में सतीश सिंह को रेंज किशनगढवास, उप वन संरक्षक, अलवर पदस्थापित किया गया था, जबकि रेंज किशनगढवास, उप वन संरक्षक, अलवर में सीताराम मीणा कार्यरत थे, जिनका कहीं स्थानान्तरण नहीं किया गया। उक्त प्रकरण में सीताराम मीणा द्वारा इस अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर अधिकरण ने सीताराम मीणा को उसी स्थान पर कार्यरत रखे जाने का अंतरिम स्थगन आदेश पारित किया था। इस प्रकार वर्तमान में आदेश दिनांक 15.01.2025 के प्रभाव से रेंज किशनगढवास, उप वन संरक्षक, अलवर में दो क्षेत्रीय वन अधिकारी ग्रेड–द्वितीय पदस्थापित हो गये हैं और इस स्थिति के निवारण हेतु प्रत्यर्थी विभाग ने आदेश दिनांक 18.03.2025 जारी किया है, जिसके द्वारा सीताराम मीणा को कार्य व्यवस्थार्थ रेंज किशनगढवास, उप वन संरक्षक, अलवर में लगाये जाने के आदेश पारित किये गये है एवं सतीश सिंह को कार्य व्यवस्थार्थ कार्यालय उप वन संरक्षक, अलवर में लगाये जाने के आदेश पारित किये गये हैं। उक्त आदेश दिनांक 18.03.2025 को अपीलार्थी सतीश सिंह ने अपील संख्या–2386/2025 में चुनौती दी है। वर्तमान में यह स्थिति प्रकट हुई है कि आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 के पारित होने के पश्चात एक ही स्थान पर दो कार्मिक पदस्थापित होने के उपरान्त एक अन्य आदेश दिनांक 18.03.2025 के द्वारा दोनों ही कार्मिकों को कार्य व्यवस्थार्थ भिन्न स्थानों पर लगाया गया है। हम पाते हैं कि इस प्रकार कार्मिकों को कार्य व्यवस्थार्थ लगाया जाना उचित नहीं

है। हम यह भी पाते हैं कि दोनों कार्मिक एक ही स्थान पर कार्यरत है। ऐसी स्थिति में दोनों अपीलों का निस्तारण इस आदेश के साथ किया जाता है कि प्रत्यर्थी विभाग नये सिरे से अपीलार्थीगण सीताराम मीणा एवं सतीश सिंह के पदस्थापन के सम्बन्ध में प्रशासनिक आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए एवं एक ही स्थान पर दो कार्मिकों के पदस्थापन की स्थिति का निवारण हेतु नये सिरे से स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेश पारित करेगा। ऐसे स्थानान्तरण आदेश पर प्रतिबन्ध अवधि लागू नहीं होगी, क्योंकि पूर्व में ही आदेश दिनांक 15.01.2025 के द्वारा स्थानान्तरण आदेश जारी किया जा चुका था। नवीन आदेश जारी होने तक दोनों ही कार्मिकों को उसी स्थान पर पदस्थापित रखा जावे, जहां वे इस अधिकरण द्वारा अपील संख्या–1596/2025 में पारित अंतरिम स्थगन आदेश दिनांक 27.02.2025 पारित होने से पूर्व कार्यरत थे।

6. उपरोक्त आदेश के साथ दोनों अपीलों का निस्तारण किया जाता है।
7. मूल आदेश अपील संख्या 1596/2025 में सलंग्न किया जाये एवं आदेश की फोटोप्रति अन्य अपील में सलंग्न की जाये।

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष